आई टू यू टू प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- संयुक्त अरब अमीरात ने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए चार देशों के समूह I2U2 (भारत-इज़राइल-यूएई-यूएसए) के प्रयासों के तहत भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है।
- विदित है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'I2U2' के प्रथम आभासी शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इजरायल के पीएम यायर लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ विमर्श किया।

आई टू यू टू

क्या है?

समूह में 'आई 2' इंडिया और इजरायल के लिए, वहीं 'यू 2' यूएस और यूएई के लिए है।

पृष्ठभूमि

उक्त चारों देशों की पहल से अक्टूबर 2021 में इसका गठन हुआ था

उद्देश्य

शामिल प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श के लिए नियमित अंतराल पर शेरपा स्तर की बैठक आयोजित करते हैं।

समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे छह क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढावा देना है।

- ध्यातव्य है कि अक्टूबर 2021 में भारत, अमेरिका, इजरायल और यूएई के विदेश मंत्रियों के प्रथम बैठक आयोजन के समय इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम से संबोधित किया गया था।
- किन्तु समय के साथ बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद इस गठबंधन की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है।
- आई टू यू टू के प्रथम बैठक के दौरान इसे पश्चिम एशिया क्वाड नाम से संबोधित किया गया था।
- उस दौरान भारत, अमेरिका, इजरायल और यूएई ने समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की थी।
- बैठक के दौरान भारत में यूएई के राजदूत ने इसे पश्चिम एशिया का क्वाड करार दिया था। क्योंकि इसमें समुद्री सुरक्षा पर चर्चा चीन के खिलाफ माना गया था।
- चीन दक्षिण चीन सागर के 90 फीसदी क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। ऐसे में इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले समुद्री परिवहन को संकट उत्पन्न हो सकते हैं। अमेरिका इसका विरोध करता है और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर है।

विमर्श के मुख्य बिन्दु

खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा

- समूह ने बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और दीर्घकालिक, विविध खाद्य उत्पादन में वृद्धि और खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अभिनव तरीकों पर विमर्श किया, जो वैश्विक खाद्य प्रभावों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा के संबंध में पहल

- संयुक्त अरब अमीरात भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
- खाद्य अपशिष्ट, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा।
- अमेरिका और इजरायल के निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान देने वाले अभिनव समाधान की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

- विदित है कि इन निवेशों से फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और दक्षिण-एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी।
- I2U2 समूह गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को भी आगे बढ़ाएगा, जिसमें 300 मेगावाट (मेगावाट) पवन और सौर क्षमता शामिल है, जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का पूरक है।

व्यवहार्यता अध्ययन का वित्त पोषण

- अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी ने $330 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन को वित्त पोषित किया।
- संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनियां महत्वपूर्ण ज्ञान और निवेश भागीदारों के रूप में सेवा करने के अवसर की खोज कर रही हैं।
- इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका निजी क्षेत्र के अवसरों को उजागर करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत के साथ काम करने की मंशा रखते हैं।
- भारतीय कंपनियां इस परियोजना में भाग लेने और 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य में योगदान देने की इच्छुक हैं।
- ऐसी परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने की क्षमता है।

कृषि नवाचार मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव

- कृषि नवाचार मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव (एआईएम फॉर क्लाइमेट) में शामिल होने की भारत की रुचि का अन्य सदस्य देशों ने स्वागत किया।
- उन्होंने पुष्टि की कि ये पहल और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण कदम है, जो गोलार्द्धों में लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में सुधार करता है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी के माध्यम से स्थिरता और लचीलापन को बढ़ाता है।

अन्य व्यक्त की गई प्रतिबद्धताएं

- बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र से पूंजी और विशेषज्ञता के उपयोग, उद्योगों के लिए निम्न कार्बन विकास मार्ग को आगे बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और टीकों तक पहुंच, मध्य पूर्व क्षेत्र के देशों के बीच भौतिक संपर्क को आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की गई।
- संयुक्त रूप से अपशिष्ट उपचार के लिए नए समाधान तैयार करने, संयुक्त वित्त पोषण के अवसरों का पता लगाने, स्टार्टअप्स को I2U2 निवेशों से संबद्ध करने और दीर्घकालिक खाद्य और ऊर्जा

सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

- I2U2 समूह ने इब्राहीम समझौते और इज़राइल के साथ अन्य शांति और सामान्यीकरण व्यवस्था के लिए समर्थन की पुष्टि की।
- मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग की उन्नति और विशेष रूप से I2U2 भागीदारों के बीच स्थायी निवेश को बढ़ावा देने सहित आर्थिक विकास के अवसरों की दिशा में कार्य किए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

स्रोत: द हिन्दू

ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप, भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के अंतर्गत "प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म" (पीओपी) का शुभारंभ किया गया।
- विदित है कि इसके साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1,018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स

- ई-नाम "प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स" के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है।

- यह समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता, जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं।
- पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है।
- 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

निहितार्थ

- पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी।
- इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
- पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।
- योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रति एफपीओ 15 लाख रु. की सीमा के साथ एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रु. तक के समतुल्य अनुदान व पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ के लिए 2 करोड़ रु. के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है, ताकि संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित हो सके।

- विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं।
- यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों के पास अधिक विकल्प होते हैं।
- इसके अलावा, अच्छी कोटि की वस्तु/सेवा प्रदाता का चयन करते समय, हितधारकों का समय और श्रम कम लगता है। पीओपी तक ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
- केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं एवं व्यवसाय विकास हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी।

ई-नाम

- क्या है
    - राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा एपीएमसी मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से संबद्ध करता है।
    - लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ई-नाम के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है।
- विज़न
    - एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, खरीदारों और विक्रेताओं के मध्य सूचना की विषमता को दूर करना एवं वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर उचित वास्तविक मूल्य की खोज को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ाना।
- मिशन
    - कृषि उत्पादों के अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिए एक आम ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में एपीएमसी का एकीकरण, समय पर ऑनलाइन भुगतान

के साथ उत्पादन की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत प्रदान करना है।

स्रोत: पीआईबी

मरम्मत का अधिकार

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

संदर्भ

- कारों, मोबाइलों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मरम्मत और कलपुर्जों के बाजार पर एकाधिकार के दृष्टिगत सरकार ने इन कंपनियों को ग्राहकों के साथ उत्पाद का ब्योरा साझा करना अनिवार्य किए जाने की योजना बनाई है, जिससे वे स्वयं या किसी तीसरे पक्ष से मरम्मत करा सकें।
- विदित है कि मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा विकसित करने हेतु उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अतिरिक्त सचिव निधि खत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- समिति की अपनी पहली बैठक 13 जुलाई, 2022 को सम्पन्न हुई, जिसमें मरम्मत के अधिकार से जुड़े महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को चिह्नित किया गया।

- इसके अंतर्गत कृषि उपकरण, मोबाइल फोन और टैबलेट, उपभोक्ता वस्तुएं और ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल उपकरण को शामिल किया गया है।

राइट टु रिपेयर फ्रेमवर्क सर्वेक्षण

- राइट टु रिपेयर फ्रेमवर्क को लेकर लोकल सर्किल द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि भारत में 43 प्रतिशत परिवारों के पास घर में 3 या इससे ज्यादा उपकरण होते हैं और जिसके 5 वर्ष से कम ही समय में उनके मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाती है।
- सामान्यतः यह पाया गया है कि कलपुर्जों पर विनिर्माताओं का प्रोपराइटी कंट्रोल होता है, जिसमें उसकी डिजाइन भी शामिल है।
- सरकार का मानना है कि मरम्मत को लेकर इस तरह के एकाधिकार से ग्राहकों के चयन के अधिकार का हनन होता है।

प्रयास

- नैदानिक उपकरणों सहित सेवा उपकरणों के पुर्जे और उपकरण व्यक्तियों सहित तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि छोटी-मोटी गड़बड़ियों पर उत्पाद की मरम्मत की जा सके।
- विदित है कि निर्माता 'नियोजित अप्रचलन' की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत किसी भी गैजेट का डिज़ाइन इस रूप में होता है कि वह एक विशेष समय तक ही कार्य करता है और उस विशेष अवधि के समाप्त होने के बाद उसे अनिवार्य रूप से बदलना पड़ता है।
- इसी के साथ जब अनुबंध खरीदार को पूर्ण नियंत्रण देने में विफल हो जाते हैं, तो मालिकों के कानूनी अधिकार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
- अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के कई देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है।
- यह ढांचा उत्पादों की स्थिरता के लिए एक "गेम-चेंजर" सिद्ध होगा और रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

अन्य देशों में स्थिति

- विश्व के विभिन्न देशों में "राइट टू रिपेयर" को वैधता प्राप्त है। इन देशों में अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे गलत गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार को सुधारें और वे यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता भी चाहें, तो खुद मरम्मत का काम कर लें या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी से यह काम करवायें।
- हाल में, यूके ने एक ऐसा ही कानून पारित किया है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माताओं को शामिल किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को पुर्जे मिल सकें और वे या तो स्वयं अथवा किसी तीसरे पक्ष से या मरम्मत करने की स्थानीय दुकानों से मरम्मत का काम करवा सकें।
- ऑस्ट्रेलिया में "रिपेयर कैफे" नामक एक विशेष प्रणाली काम करती है। ये ऐसे स्थान हैं, जहां स्वयंसेवी मिस्त्री एकत्र होते हैं और मरम्मत का कौशल दिखाते हैं।
- यूरोपीय संघ ने भी कानून पारित किया है, जिसके तहत निर्माताओं से कहा गया है कि वे दस वर्षों तक मिस्त्रियों को उत्पादों के पुर्जे उपलब्ध करायें।

लाइफस्टाइल फॉर दी एनवायरेन्मेंट और राइट टू रिपेयर की आवश्यकता

- गत माह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर दी एनवायरेन्मेंट) आंदोलन की अवधारणा का शुभारंभ किया था।
- विदित है कि इसमें विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों को दोबारा उपयोग करने और उनकी री-साइक्लिंग का विचार शामिल है। दोबारा इस्तेमाल करने के दृष्टिगत उत्पादों की मरम्मत करना एक अहम प्रक्रिया है। यह उत्पादों का लंबे समय तक चलने के लिये भी जरूरी है।
- ऐसा उत्पाद, जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती या जो योजनाबद्ध तरीके से कम समय तक चलने के लिये बनाया गया है, यानी उसकी ऐसी डिजाइन बनाई गई है कि वह सीमित समय तक ही चलता हो, ऐसे उत्पादों से न केवल ई-कचरा बढ़ता है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को नये उत्पाद खरीदने के लिए भी विवश करता है, क्योंकि दोबारा इस्तेमाल करने के लिये इन उत्पादों की मरम्मत नहीं की जा सकती।
- फलतः मरम्मत की संभावना खत्म कर देने से उपभोक्ता को उस उत्पाद के नये मॉडल को खरीदने हेतु विवश होना पड़ता है।
- लाइफ आंदोलन उत्पादों के तर्कसंगत और समझ-बूझकर इस्तेमाल करने की बात कहता है।

- "राइट टू रिपेयर" के पीछे तर्क यह है कि जब हम कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो उसमें यह बात निहित होती है कि हम उसके वास्तविक मालिक हैं तथा इसके लिये उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह आसानी से तथा सस्ते में उत्पाद की मरम्मत या उसमें सुधार कर सके।
- समय के साथ यह देखा जा रहा है कि "राइट टू रिपेयर" पर नियंत्रण लगाई जा रही है। मरम्मत के काम में अनावश्यक विलंब होता है और कभी-कभी उत्पादों की मरम्मत की बहुत ज्यादा कीमत वसूली जाती है। इसके कारण उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अकसर पुर्जे उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण उपभोक्ता को मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस